Form No-III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् हरमनदीप सिंह बनाम मंगत सिंह आदि किस्म मुकदमा् 88,92-ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 45/2021

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
10.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुउपस्थित। वकील वादी को अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की तलबी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु न्यायालय द्वारा 34 अवसर प्रदान किये गये। तलबी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु बार-बार न्यायालय द्वारा हिदायत दी गई। वकील वादी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की तलबी रजिस्टर्ड से करवाने की हिदायत देने के बावजूद आदिनांक तक तलबी नही करवाई गई है। रजिस्टर्ड तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन पेश नही किये गये है। वादी न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.08.2021 से प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस देने में विफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 09 नियम 05 के तहत् सम्मन/नोटिस देने में वादी/प्रार्थी के असफल रहने के परिणामस्वरूप इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आदिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। शकुंतला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर।	

(Seal: उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner